रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 164

No. 197] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 164

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली**,** 2 सितम्बर**,** 2019

सं. 28/2018 – राज्य कर

फा. सं. 03(14)/ वित्त (राज-1)/2019-20/डीएस-IV/379.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2018 है ।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2018 से प्रभावी होगी।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--

(i) नियम 58 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके **प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02** में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल और सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा ।";

(ii) नियम 109क के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, जो इस अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू मनी जाएगी, अर्थात् :-

(1) इस अधिनियम या दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है,तीन मास के भीतर,विशेष आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त,को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या माल एवं सेवा कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो ।

(2) इस अधिनियम या दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन निर्देशित कोई अधिकारी,उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से 6 मास के भीतर, विशेष आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त,को अपील कर सकेगा, जहां ऐसा विनिश्चय या आदेश उपायुक्त या सहायक आयुक्त या माल एवं सेवा कर अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो :

परंतु आयुक्त, क्षेत्र या आर्थिक सीमा या अपील की प्रकृति या श्रेणी या किसी अन्य आधार पर जिसे आयुक्त उचित समझे, संबन्धित प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर सकता है ।

नियम 138ग के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, **प्ररूप ईडब्ल्यूबी-03** के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको यान बीच में रोका गया था ।";

(iii) नियम 142 के उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 129 या धारा 130" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) **प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01** के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02

[नियम 58(1क) देखिए]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन

[एक ही स्थायी खाता संख्या वाले केवल ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम सं0	माल और सेवा कर पहचान संख्यांक	व्यापार का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. **सत्यापन**

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषित करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान : .... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख . ... पद/प्रास्थिति ....

कार्यालय उपयोग के लिए—

नामांकन संख्या -- तारीख -- .... ।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना, दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 को फा. सं. 03 (10) /वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/342, दिनांक 22 जून, 2017, को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उसमें संशोधन अधिसूचना संख्या 26/2018-राज्य कर दिनांक 02.09.2019 को फा. सं. 03 (13) /वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/378, दिनांक 02.09.2019, से प्रकाशित हुई थी ।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd September, 2019

No. 28/2018 – State Tax

F. No. 3 (14)/Fin (Rev-I)/2019-20/ DS-VI/379.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

(1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of 19th June, 2018.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02** using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.";

(ii) for rule 109A, the following shall be substituted with effect from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette, namely:-

(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 may appeal to the Special Commissioner/Additional Commissioner/Joint Commissioner where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner/Goods and Service Tax Officer, within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) An officer directed under sub-section(2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under this Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 may appeal to the Special Commissioner/Additional Commissioner/Joint Commissioner where such decision or order is passed by the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner/Goods and Service Tax Officer, within six months from the date of communication of the said decision or order:

Provided that the Commissioner may fix the jurisdiction of the respective authority on the basis of territory or pecuniary limit or nature or class of appeals or any other basis that may be deemed appropriate by the Commissioner.

(iii) in rule 138C, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

Explanation.- The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.";

(iv) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 129 or section 130" shall be inserted;

(v) after **FORM GST ENR-01,** the following FORM shall be inserted, namely:-

"FORM GST ENR-02

[See Rule 58(1A)]

Application for obtaining unique common enrolment number

[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]

1.	(a) Legal name	
	(b) PAN	

2. Details of registrations having the same PAN

Sl. No.	GSTIN	Trade Name	State/UT

3. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place: …………….. Name of Authorised Signatory

Date: …………….. Designation/Status……………………

For office use –

Enrolment No. - Date - ……………… ."

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note : The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide F. No. 3(10)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/342 dated the 22nd June, 2017 and last amended vide notification No.26/2018-State Tax, dated the 2nd September, 2019, published vide F. No. 3(13)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/378 dated the 2nd September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.09.03 23:09:36 +05'30'